बार-बार अनादर किए गए चेक पर बनाई गई नीति

लिखतों को अनादर करना

यदि संग्रह के लिए स्वीकार किया गया चेक बिना चुकता किए हुए वापस हो जाता है, तो बैंक तुरंत चेक के मूल्य को ग्राहक के खाते में डेबिट कर देगा। ग्राहक के साथ विभिन्न व्यवस्थाओं के अनुसार, बैंक उस अवधि के लिए ब्याज वसूल करेगा, जब बैंक के पास धन नहीं था और/या प्रति लिखत दर परजो ग्राहक पर वापसी प्रभार के रूप में लागू है।

बैंक डेबिट की तारीख से दो कार्य दिवसों के भीतर ग्राहक के साथ व्यवस्था के आधार पर लेनदेन स्तर के विवरण सहित वापसी ज्ञापन और वापसी विवरण के साथ रिटर्न चेक सौंप देगा या प्रेषितकरेगा।

1 करोड़ रुपये से कम मूल्य के चेक और ईसीएस अधिदेश के बार-बार अनादरित होने की घटनाओं से निपटने के लिए बनाई गई नीति

कार्यक्षेत्र:

सीटीबीसी नई दिल्ली एक्सिस बैंक लिमिटेड का एक उप-सदस्य है और सभी स्थानीय समाशोधन एक्सिस बैंक लिमिटेड के माध्यम से किए जाते हैं। इसलिए सीटीबीसी ग्राहकों द्वारा जारी किए गए सभी आवक समाशोधन चेक और ईसीएस अधिदेश एक्सिस बैंक लिमिटेड के माध्यम से सीटीबीसी को प्रेषित किए जाते हैं। समाशोधन वाले चेक और ईसीएस अधिदेश पर सभी जावक रिटर्न की सूचना सीटीबीसी द्वारा दी जाती है और उसी के लिए 'अनादर' की गणना शाखा परिचालन विभाग द्वारा की जाती है। सीटीबीसी नई दिल्ली एक्सिस बैंक लिमिटेड का एक उप-सदस्य है और सभी स्थानीय समाशोधन इसके माध्यम से किए जाते हैं। इसलिए सीटीबीसी ग्राहकों द्वारा जारी किए गए सभी आवक समाशोधन चेक और ईसीएस अधिदेश सीटीबीसी के माध्यम से किए जाते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से 1 करोड़ रुपये से कम मूल्य के चेक के बार-बार अनादर किए जाने की घटनाओं से निपटने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनाने का आह्वान किया है। चेक का अनादरण परक्राम्य लिखत (एनआई) अधिनियम, 1881 के प्रावधानों द्वारा शासित होता है, जबकि खाते में अपर्याप्त निधि होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण का अनादरण संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 25 द्वारा शासित होता है। हालांकि चेक वापस होने की स्थिति में शाखाओं द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश मौजूद थे, लेकिन ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदमों के बारे में कोई विशेष निर्देश नहीं थे। 1 करोड़ रुपये से कम मूल्य के चेक के बार-बार अनादरित होने और ईसीएस विफल होने की स्थिति से निपटने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित पैराग्राफ में बताई गई है।

अनादरित चेक को वापस करने का समय

अनादरित लिखतों को बिना किसी विलम्ब के, किसी भी स्थिति में अनादर के 24 घंटे के भीतर, ग्राहक को वापस/प्रेषित किया जाना आवश्यक है।

अनादरित चेकों की वापसी/प्रेषण की प्रक्रिया

- बैंक को बैंकर्स क्लियरिंग हाउस के लिए समान विनियमन और नियमों के अनुसार संबंधित क्लियरिंग हाउस के लिए निर्धारित रिटर्न अनुशासन के अनुसार प्रस्तुत अनादरित चेकों को सख्ती से वापस करना चाहिए। शाखा को ऐसे अनादरित चेक प्राप्त होने पर इसे तुरंत भुगतानकर्ताओं/धारकों को लिखतों की प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर प्रेषित किया जाना चाहिए।
- एक ही शाखा / अंतर-शाखा के दो खातों के बीच अंतरण के माध्यम से लेनदेन के निपटान हेतु काउंटर पर आदाता शाखा को सीधे प्रस्तुत किए गए चेक के संबंध में, शाखा को निधि की अपर्याप्तता के कारण अनादरित होने की स्थिति में ऐसे अनादरित चेकों को अदाताओं/धारकों को उसी दिन/या अगले दिन वापस कर दिया जाना चाहिए।
- सभी खातों के संबंध में निधिकी कमी के कारण अनादरित चेकों को एक ज्ञापन के साथ वापस किया जाना चाहिए, जिसमें अनादर का कारण "अपर्याप्त निधि" दर्शाया गया हो। सभी अनादरित चेकों का विधिवत रूप से हस्ताक्षरित बैंक ज्ञापन के तहत उल्लेख किया जाना चाहिए।

बार-बार चेक के अनादर की घटनाओं से निपटना

- ग्राहकों के बीच वित्तीय अनुशासन लागू करने के उद्देश्य से, शाखा को चेक की सुविधा के साथ बचत/चालू खाते के संचालन के लिए एक शर्त लागू करनी चाहिए कि यदि किसी विशेष खाते पर आहरित एक करोड़ रुपये से कम मूल्य के चेक का वित्तीय वर्ष के दौरान खाते में पर्याप्त निधि के अभाव में 4 बार अनादर होने की स्थिति में, कोई नई चेक बुक जारी नहीं की जाएगी और शाखा अगली बार अनादर होने पर ग्राहक को 30 दिन का नोटिस जारी करने के बाद खाता बंद कर सकती है।
- शाखा अपने विवेक से पूर्वानुमोदन के साथ खाता बंद करने पर विचार कर सकती है, और ग्राहक को खाता बंद करने का कारण बताते हुए उसे उचित नोटिस भी दे सकती है। तथापि, नकद ऋण खाता, ओवरड्राफ्ट खाता जैसे अग्रिम खातों के संबंध में, इन ऋण सुविधाओं को जारी रखने या न रखने की आवश्यकता और इन खातों से संबंधित चेक सुविधा की समीक्षा उचित प्राधिकारी, यानी अनुमोदन देने वाले प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए।
- इस संबंध में, हमारे बैंक से नकद ऋण और ओवरड्राफ्ट खाते प्राप्त करने वाले उधारकर्ताओं में वित्तीय अनुशासन लागू करने के दृष्टिकोण से, अतिरिक्त मानक प्रसंविदाके रूप में नीचे उल्लिखित खंड को शामिल किया जाना है, जो संस्वीकृत ऋण के संस्वीकृति पत्र/व्यवस्था पत्र का एक भाग के रूप में होगा: -"क्रेडिट सुविधा की संस्वीकृति के दौरान बैंक के पास अग्रिम राशि वापस लेने का विकल्प होगा तथा चेक अनादर पर बैंक की नीति के अनुसार चेक सुविधा वापस लेने का भी विकल्प होगा, यदि खाते में अपर्याप्त निधिके कारण चेक का बार-बार अनादर/ईसीएस (डेबिट) विफल होने की घटनाएं देखी जाती हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया शाखा के नोटिस बोर्ड या बैंक की वेबसाइट www.chinatrustindia.comपर प्रदर्शित चेक अनादर पर बनाई गई नीति देखें।"
- मौजूदा खातों के संचालन के संबंध में ऊपर (क) और (ख) में उल्लिखित शर्तों को लागू करने के उद्देश्य से, शाखा नई चेक बुक जारी करते समय, खाते के संचालन के लिए नई शर्त की स्वीकृति के बारे में ग्राहकों से एक पत्र प्राप्त कर सकती है। इस शर्त को घटक की ओर से घोषणा के रूप में खाता खोलने के प्रपत्रमें भी शामिल किया जा सकता है।

- यदि वित्तीय वर्ष के दौरान आहर्ता के किसी विशेष खाते पर उपर्युक्त पैरा (क) में उल्लिखित चेक के संबंध में एक चेक तीसरी बार अनादरित हो जाता है,तो शाखा को वित्तीय वर्ष के दौरान उसी खाते पर अगले अवसर पर चेक अनादरित होने की स्थिति में उपर्युक्त शर्तों और परिणामी चेक सुविधा के रोक की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए संबंधित ग्राहक को एक सावधानीपूर्ण सलाह जारी करनी चाहिए।
- यदि किसी खाते में चेक बुक की सुविधा उपलब्ध करायी गई है और ईसीएस अधिदेश भी पंजीकृत है, तो चेक के अनादर/असफल ईसीएस की संख्या की गणना के लिए चेक के अनादरण और विफल ईसीएस दोनों को अनादरण की घटनाओं को ध्यान में रखा जाएगा।
- खाते में चेक/ईसीएस अधिदेश के बाद के अनादर की स्थिति में शाखा ग्राहक को 30 दिनों का नोटिस देने के बाद खाता बंद करने पर विचार कर सकती है।

ईसीएस का अनादर - धारा 25: संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007

- ईसीएस (डेबिट) एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत बैंक में खाताधारक ईसीएस उपयोगकर्ता को अपने खाते में डेबिट बढ़ाकर निर्धारित आवृत्ति पर या अन्यथा राशि वसूलने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। ईसीएस उपयोगकर्ता को ऐसे डेबिट बढ़ाने के लिए एक प्राधिकार प्राप्त करना होता है जिसे ईसीएस अधिदेश कहा जाता है। इन अधिदेशों को खाता बनाए रखने वाली बैंक शाखा द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 25 के अनुसार, जहां किसी व्यक्ति द्वारा उसके द्वारा रखे गए खता द्वारा किए गए किसी इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण कोइस आधार पर निष्पादित नहीं किया जा सकता है कि उस खाते में अंतरण अनुदेश का समादरण करने के लिए उस खाते में जमा धन पर्याप्त नहीं है या बैंक के साथ किए गए किसी करार द्वारा उस खाते से संदाय किए जाने के लिए की गई व्यवस्था से वह रकम अधिक है, वहां ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार मुकदमा चलाने का प्रावधान है।

विफल ईसीएस से निपटने की प्रक्रिया

- अपर्याप्त निधियों के कारण ईसीएस के विफल होने की स्थिति में, शाखा की ओर से ग्राहक को एक संदेश भेजा जाना चाहिए, जिसमें उसे सूचित किया जाना चाहिए कि एक वित्तीय वर्ष में 4 बार या अन्यथा ईसीएस के विफल होने की स्थिति में, शाखा अपने विवेकानुसार प्रायोजक बैंक/शाखा को किसी विशेष खाते के लिए दिए गए सभी अधिदेशों को रद्द करने की सलाह दे सकती है, जबकि नकद ऋण खातों के लिए, मामले में स्वीकृति प्राधिकारी के समक्ष समीक्षा की जा सकती है। शाखा को वित्तीय वर्ष में तीसरी ईसीएस विफलता के बाद ईसीएस के संबंधित उपयोगकर्ता को चेतावनी ज्ञापन भी भेजना चाहिए जिसके लिए ईसीएस पंजीकृत किया गया था।
- उपर्युक्त शर्तों को ईसीएस अधिदेश में शामिल किया जाना है, जिस पर गंतव्य खाताधारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- यदि किसी खाते में ईसीएस अधिदेश के अलावा चेक बुक की सुविधा है, तो चेक अनादरण की संख्या / ईसीएस अधिदेश की गणना के लिए चेक अनादरण और विफल ईसीएस दोनों को ध्यान में रखा जाएगा।
- शाखा ईसीएस विफलता के बाद ग्राहक को 30 दिनों का नोटिस देने के पश्चात खाते को बंद करने पर विचार कर सकती है, भले ही खाते में कोई चेक बुक की सुविधा न हो और केवल ईसीएस पंजीकृत हो।
- उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुपालन शाखा के नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित करना होगा ताकि ऐसी विफल ईसीएस की देरी से रिपोर्टिंग में कोई ढिलाई न बरती जाए और ऐसी परिस्थितियों के पाए जाने की स्थिति में, कर्मचारियों की जवाबदेही से निपटने हेतु आंतरिक दिशानिर्देश लागू होंगे। च) यदि किसी न्यायालय/उपभोक्ता फोरम द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो विफल ईसीएस की पूर्व सूचना/दस्तावेजी प्रमाण प्रदान किया जाना चाहिए।

अनादरित चेक/विफल ईसीएस पर जानकारी

- (1) 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक तथा 1 करोड़ रुपये से कम राशि के प्रत्येक अनादरित चेक और स्टॉक एक्सचेंजों के पक्ष में लिखे गए सभी चेकों, तथा (2) सभी विफल ईसीएस के संबंध में डेटा, के संबंध में देता को बैंक की एमआईएस का भाग बनाया जाना चाहिए और प्रत्येक तिमाही के बाद प्रबंधन समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।
- सिस्टम को अनादरित चेक/विफल ईसीएस के लिए चेतावनी संबंधी सलाह देनी चाहिए।

सामान्य

किसी न्यायालय, उपभोक्ता फोरम या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनादरित चेक से संबंधित किसी कार्यवाही में शिकायतकर्ता (अर्थात अनादरित चेक का आदाता/धारक) की ओर से चेक अनादरित होने के तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के प्रयोजनार्थ, शाखा को पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिए, तथा चेक अनादरित होने के तथ्य का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए।